न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4043–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–10–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 1/2011–12/पुनरीक्षण

.....

1–रजिया बानो पत्नी स्व.कबीर एहमद खॉ
2–सजिदा बाना पति शकील (पिता कबीर एहमद खॉ)
3–जावेद एहमद खॉ पिता कबीर अहमद खॉ
सभी निवासी राजपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र. ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मैमुना बी विधवा फारूख मोहम्मद खां
2–हाफिज मोहम्मद (कम समझ) पिता
फारूख मोहम्मद खां संरक्षक एवं भ्राता
खालिक मो. पिता फारूख मोहम्मद खां
3–सारिक मोहम्मद खॉ पिता फारूख मोहम्मद खां
4–शाहिन बानो पिता फारूख मोहम्मद खां (मृतक के वारिसान)
1.श्री फतेह उल्ला एवं 2.अमान नाबालिग दत्तक पुत्र फतेहउल्ला व सरपरस्त पिता फतेह उल्ला निवासी हमीदपुरा जिला बुरहानपुर
5–खालिक मोहम्मद खॉ पिता फारूख मो.खां (मृतक के वारिसान)
1.शमा पति खालीक मोहम्मद 2.महविश शाहनू पिता खालीक मोहम्मद 3.अरशाद पिता खालीक मो. 4 फेसल पिता खालीक मोहम्मद 5 सद पिता खालीक मोहम्मद 6.बाफीया पिता खालीक मोहम्मद 7.हानिया पिता खालीक मो.(क.3 से 7 तक नाबालिक सरपरस्त मॉ शमा पति खालीक मोहम्मद) निवासीगण कमल टॉकिज के पीछे, राजपुरा, बुरहानपुर म.प्र.
6–फरीद मोहम्मद खां पिता फारूख मोहम्मद खां
7–तारिक मो.खां पिता फारूख मो.खां
8–लतिफा बानो पिता फारूख मो.खां
9–आफाक मोहम्मद खां पिता फारूख मो.खां
सभी निवासी राजपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म0प्र0
11–बीबी साहेबा विधवा शब्बीर एहमद खां
12–शकील एहमद खां उर्फ मुन्ना पिता शब्बीर एहमद खां
13–साजिदा बी पुत्री शब्बीर एहमद खां
14–शाहिद एहमद खां पिता शब्बीर एहमद खां
15–शबनम बी पिता शब्बीर एहमद
16–शरीफ एहमद पिता शब्बीर एहमद खां
17–शहनाज बी पिता शब्बीर एहमद खां
18–सलीम एहमद खां पिता शब्बीर एहमद खां
कमांक 11 लगायत 18 निवासीयान कमल टॉकीज
के पास, राजपुरा बुरहानपुर म0प्र0

19–फातमा बी बेवा शब्बीर एहमद खां
20–शाहदाब पिता शब्बीर एहमद खां
21–शेहलाद पिता शब्बीर एहमद खां
22–साजिद एहमद खान पिता शब्बीर एहमद
23–शादमा बी पिता शब्बीर एहमद खां
24–शाहिस्ता बी पिता शब्बीर एहमद खां
सभी निवासी बड़वाले सैय्यद बैरी मैदान,
बुरहानपुर म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक–अनावेदक क्र. 2 से 9
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक क्र. 11 से 24

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/12/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 9 एवं शाहिदा बानो द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–2–09 को आदेश पारित कर ग्राम बोहरड़ा तहसील बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 5/1 रकवा 1.95 हेक्टर, सर्वे कमांक 32/1 रकवा 1.51 हेक्टर, सर्वे कमांक 195/1 रकबा 1.29 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 215/1 रकबा 1.59 हेक्टल मुल रकबा 6.34 हेक्टर उन्हें बटवारे में प्रदान की गई है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा अवैधानिक हो गया है, अतः उन्हें कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ–70/2008–09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित

बटवारा आदेश दिनांक 24–2–2009 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन होकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–12–2009 को स्थगन आदेश पारित कर अभिलेख प्राप्त होने तक आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है, अतः इस प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही स्थगित की गई है । तत्पश्चात् अनावेदक कमांक 1 लगायत 9 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–2010 को अंतरिम आदेश पारित कर अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील में अभिलेख आने तक कार्यवाही स्थगित की गई। अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्राप्त हो चुका है तथा दिनांक 30–11–2010 को स्थगन स्वमेव निरस्त होने संबंधी आदेश पारित किया गया है, अतः प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–8–2011 को आदेश पारित कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आवेदकगण को जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–9–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–10–2013 को आदेश पारित निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही बताया गया कि तहसीलदार के जिस बटवारा आदेश के विरूद्ध संहिता की 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित है उक्त बटवारा आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष लंबित है, अतः यदि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही की जाती है, तब निश्चित ही आवेदकगण के विरूद्ध अन्याय होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि यदि अपर आयुक्त द्वारा बटवारा आदेश निरस्त कर दिया गया तो प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण का कब्जा ले लिये जाने से विवाद की स्थिति निर्मित होगी । उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील के निराकरण

तक संहिता की धारा 250 में प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया साथ ही तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का भी अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय की डिक्री एवं उसके आधार पर पारित बटवारा आदेश को आवेदकगण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इस कारण आवेदकगण की ओर से प्रचलित निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

(2) अनावेदकगण को हिस्से में जो भूमि प्राप्त हुई है, आवेदकगण उक्त भूमियों को अनावेदकगण को नहीं देना चाहते, इसलिये यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

(3) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, इस कारण भी यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है ।

(5) आवेदिका कमांक 4 अफरोज बानो की मृत्यु हो चुकी है और आवेदकगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर अफरोज बानो के फर्जी हस्ताक्षर बनाये है, इस आधार पर कहा गया कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि का विकय कर दिया गया है और केता का नामान्तरण भी हो चुका है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है । तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा प्राप्त

करने हेतु अनावेदकगण मैमुनाबी आदि द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा पूर्व में अपने आदेश दिनांक 30–06–2010 द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील में दिये गये स्थगन के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण मैमुनाबी आदि द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 06–09–2010 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल आदेश जो कि अपील में लंबित है, इसके चलते संहिता की धारा 250 के तहत दायर वाद भी प्रभावित होगा तथा लिटिगेशन में वृद्धि होगी । अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के संहिता की धारा 250 के प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखने के आदेश को स्थिर रखा गया । तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त का स्थगन आदेश स्वमेव दिनांक 30–10–2010 को निरस्त हो जाने से प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसे अधीनस्थ दोनों निगरानी न्यायालयों द्वारा यथावत् रखा गया है । इस प्रकरण में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि बटवारा आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है अर्थात् बटवारा आदेश अभी अंतिम नहीं हुआ है । सिविल न्यायालय को स्वत्व घोषित करने की अधिकारिता है, किन्तु भूमि का बटवारा करने की अधिकारिता संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को ही संहिता की धारा 178 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने की अधिकारिता संहिता के प्रावधान अनुसार अपीलीय एवं निगरानी न्यायालय को है । ऐसी दशा में सिर्फ सिविल न्यायालय के स्वत्व के निर्णय के आधार पर तहसील के बटवारा आदेश को विधिसंगत होना नहीं माना जा सकता । कलेक्टर ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 06–09–2010 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल आदेश जो कि अपील में लंबित

है, इसके चलते संहिता की धारा 250 के तहत दायर वाद भी प्रभावित होगा तथा लिटिगेशन में वृद्धि होगी । कलेक्टर ने उक्त निष्कर्ष को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता । अपर आयुक्त के समक्ष मूल बटवारा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष अपील विचाराधीन होने से तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश देने से अनावश्यक रूप से लिटिगेशन में वृद्धि होगी, इसलिये अधीनस्थ निगरानी न्यायालयों द्वारा तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखने में त्रुटि की गई है । तहसील न्यायालय को अपर आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय अपील के निराकरण तक संहिता की धारा 250 के प्रकरण को स्थगित रखा जाना चाहिये था जिससे अनावश्यक लिटिगेशन उत्पन्न न हो । अतः न्यायहित में निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि मूल बटवारा आदेश के विरूद्ध लंबित द्वितीय अपील का गुणदोष पर विधि अनुसार निराकरण अतिशीघ्र करें ।

6/ उपरोक्तानुसार निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर